उप संभागीय परिवहन कार्यालय, रामपुर

पत्रांक -147/20- गति सीमा मार्गवार/2020 रामपुर : दिनांक -27/06/2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्टि क्षेत्र में या विशिष्टि सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्तया मोटरयानों या किसी विशिष्टि वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ से लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0 स0	मार्ग का नाम एवं संख्या		रामपुर जनपद में लम्बाई (कि0मी0 में)	मोटरयान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा प्रति कि0मी0 (प्रति घण्टा) नगरीय निकाय क्षेत्र सीमा के बाहर					
				चालक सीट के अतिरिक्त 8 सीटों से अनाधिक यात्री के वाहन	चालक सीट के अतिरिक्त 9 या अधिक सीटों के यात्रियों के वाहन	माल के वहन के लिए वाहन	दुपहिया मोटर चलित वाहन	चौपहिया मोटर साइकिल	तिपहिया मोटरयान
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	दिल्ली लखनऊ मार्ग (रामपुर प्रभाग)	NH-24	34.000	100	90	80	80	60	50
2	*रामपुर-बिलासपुर-किच्छा-हल्द्वानी-काठगोदाम मार्ग	NH-87	44.000	100	90	80	80	60	50
3	शाहबाद-ढकिया आसफपुर मार्ग	SH-109	15.200	70	60	60	60	50	50
4	शाहबाद-बिलारी मार्ग	SH-125	17.000	70	60	60	60	50	50
5	शाहबाद टाण्डा सिरौली मार्ग	SH-125	12.250	70	60	60	60	50	50
6	रामपुर स्वार बाजपुर मार्ग	SH-144	43.000	70	60	60	60	50	50
7	रामपुर-शाहबाद मार्ग	SH-144	32.498	70	60	60	60	50	50
8	मुरादाबाद टाण्डा दढ़ियाल मार्ग	MDR-65W	14.130	70	60	60	60	50	50
9	बिलासपुर मिलकखानम स्वार मार्ग	MDR-153W	26.107	70	60	60	60	50	50
10	बिलासपुर-मिलक मार्ग	MDR-33	33.125	70	60	60	60	50	50
11	बिजारखाता से सुल्तानपुर पट्टी मार्ग	ODR	10.000	70	60	60	60	50	50
12	स्वार दढ़ियाल काशीपुर मार्ग	ODR	15.600	70	60	60	60	50	50
13	बिलासपुर चकफेरी मार्ग	ODR	10.000	70	60	60	60	50	50
14	स्वार किला खेड़ा मार्ग	ODR	10.700	70	60	60	60	50	50
15	मानपुर दढ़ियाल मार्ग	ODR	7.770	70	60	60	60	50	50
16	गदरपुर मिलकखानम मार्ग	ODR	7.442	70	60	60	60	50	50

	़सियापुरा लालपुर रोड (मौ0 अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग)	ODR	14.000	70	60	60	60	50	50
18	एन0एच0–24 से एन0एच0–87 बाईपास मार्ग (जौहर अस्पताल से खौद तक)	ODR	16.000	70	60	60	60	50	50
19	खौद टाण्डा मार्ग	ODR	14.800	70	60	60	60	50	50
20	लालपुर बहल्ला सेतु मार्ग	ODR	7.700	70	60	60	60	50	50
21	रामपुर केमरी मार्ग	ODR	17.328	70	60	60	60	50	50
22	शाहबाद मुड़ैसी– करैथी मार्ग	ODR	7.900	70	60	60	60	50	50
23	मैसोड़ी बहेटा सिर्राह मार्ग	ODR	4.700	70	60	60	60	50	50
24	खौद मिलकखानम मुरसैना से अजीमनगर मार्ग	ODR	13.000	70	60	60	60	50	50
25	एन0एच0–24 धनेली पूर्वी से मैसोड़ी नवदिया सिर्राह मार्ग	ODR	7.000	70	60	60	60	50	50
26	रामपुर बड़ाखास सिमरा हरदुआ हरदासपुर नवदिया सिर्राह मार्ग	ODR	33.700	60	50	50	50	40	40
27	**बिलासपुर अहरो शीशगढ़ मार्ग	ODR	18.100	70	60	60	60	50	50
28	**चड्ढापेपर मिल से करतारपुर सुआनगला मार्ग	ODR	14.200	70	60	60	60	50	50
29	**एन0एच0–87 से डिबडिबा	ODR	4.450	70	60	60	60	50	50
30	**बिशारतनगर से नवाबगंज मार्ग	ODR	15.000	70	60	60	60	50	50
31	अहरो बंगाली कालोनी मार्ग	ODR	22.600	60	50	50	50	40	40
32	रामपुर प्रानपुर मानकपुर बंजरिया मार्ग	ODR	11.500	60	50	50	50	40	40
33	सीकमपुर छितरिया जागीर मार्ग	ODR	12.000	60	50	50	50	40	40
34	सैदनगर खुशहालपुर टाण्डा मार्ग	ODR	11.000	60	50	50	50	40	40
35	खौद थूनापुर मार्ग	ODR	9.100	60	50	50	50	40	40
36	धनौरा मोड़ से गोदी मार्ग	ODR	10.500	60	50	50	50	40	40
37	रमपुरा बुजुर्ग से नरसुआ मार्ग	ODR	15.800	60	50	50	50	40	40
38	एन0एच0–87 के कि0मी0 38 से गुरूद्वारा वाया चन्देन मार्ग	ODR	10.000	60	50	50	50	40	40
39	पटवाई मिलक मार्ग	ODR	14.760	60	50	50	50	40	40
40	बिलासपुर मिलक मार्ग के कि.मी. 5 से धावनी से चैनपुर मार्ग	ODR	16.400	60	50	50	50	40	40
41	पंजाब नगर जौलपुर मार्ग	ODR	9.750	60	50	50	50	40	40
42	रामपुर शाहबाद मार्ग से एफ0सी0आई0 गोदाम आगापुर, मंसूरपुर होते हुए रा0मा0–24 तक	ODR	2.800	60	50	50	50	40	40
43	नया सागरपुर मार्ग	ODR	2.500	60	50	50	50	40	40
44	रामपुर शाहबाद मार्ग के कि.मी.–31 से ईसाखेड़ा नवीगंज होते हुए शाहबाद टाण्डा सिरौली मार्ग तक	ODR	8.450	60	50	50	50	40	40
45	बिलासपुर मिलक मार्ग कि.मी. 18 रासखण्डिया से सिलई बड़ा भौजीपुरा मार्ग।	ODR	11.000	60	50	50	50	40	40
46	रा0मा0–24 धनेली पूर्वी से भौपतपुर होते हुए पटिया तक मार्ग।	ODR	20.000	60	50	50	50	40	40
47	रा0मा0–24 के कि.मी. 195.053 से शंकरपुर पटवाई मार्ग।	ODR	8.500	60	50	50	50	40	40

[illegible]	रूपपुर यादवों का मजरे से धमौरा अताई नगर एचैंरा होते हुए पटवई मिलक मार्ग तक	ODR	16.800	**60**	**50**	**50**	**50**	**40**	**40**
49	धमौरा रठौण्डा से चिंचैली मार्ग।	ODR	10.000	**60**	**50**	**50**	**50**	**40**	**40**

यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पाँच प्रतिशत के अन्दर पाई जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

* मार्ग अभी एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन है, जिसका समाप्ति वर्ष 2021 सम्भावित है। अतः इस इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति का संज्ञान मार्ग निर्माण पूर्ण (2021), अथवा 01.04.2021 जो भी बाद में हो, के पश्चात् लिया जायेगा। तत्समय तक प्रत्येक श्रेणी के वाहन हेतु अनुमन्य अधिकतम गति विनिर्दिष्ट अधिकतम गति से 20 किमी0 कम होगी।

** अंकित मार्ग चौड़ीकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है, जिसका समाप्ति वर्ष 2021 सम्भावित है। अतः इस इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति का संज्ञान मार्ग निर्माण पूर्ण (2021), अथवा 01.04.2021 जो भी बाद में हो, के पश्चात् लिया जायेगा। तत्समय तक प्रत्येक श्रेणी के वाहन हेतु अनुमन्य अधिकतम गति विनिर्दिष्ट अधिकतम गति से 20 किमी0 कम होगी।

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i)- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफलेक्टिव टैप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii)- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

→ अग्नि शमन वाहन। → एम्बुलेंस। → पुलिस वाहन। → कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन। → प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii)- उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 या 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(अरुण कुमार)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद रामपुर

संख्या (1)/20–समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, रामपुर।
4– पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
5– निदेशक छपाई एवं मुद्रण, राजकीय प्रेस, जनपद रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर।
7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
8– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन0एच0 27, काशीपुर

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद रामपुर